संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर,भोपाल
मध्य प्रदेश

क्र.01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2025/834 भोपाल, दिनांक 13/08/2025

प्रति,

समस्त बंधपत्र चिकित्सक,
(स्नातक/स्नातकोत्तर/दंत),
मध्यप्रदेश ।

विषय :- विभाग द्वारा नियुक्त बंधपत्र चिकित्सकों के कार्यस्थल से अनुपस्थित होने के संबंध में कार्यवाही की चेतावनी।

संदर्भः- अनिवार्य सेवा बंधपत्र के अनुक्रम में समय समय पर जारी आदेश ।

प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. अथवा पीजी.उत्तीर्ण बंधपत्र चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किए गए हैं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक/स्नातकोत्तर प्रवेश नियमों में प्रावधानित अनुसार,चिकित्सक स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय, अध्ययन उपरांत अनिवार्य रूप से बंधपत्र सेवायें प्रदान करने अन्यथा बंधपत्र राशि जमा किए जाने का बंधपत्र निष्पादित करते हैं, जिसके अनुक्रम में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं।

विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट रूप से लेख होता है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी परंतु यह संज्ञान में आया है कि काफी संख्या में बंधपत्र चिकित्सक कार्यग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल से पारिवारिक कारण, पीजी अध्ययन की तैयारी अथवा अन्य कोई कारण देकर बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाते है अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं एवं लंबे समय तक बंधपत्र सेवायें प्रदान नहीं करते हैं। विभाग द्वारा पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति भी निरंतर जारी की जाती रही है परंतु बंधपत्र चिकित्सक पुनः कुछ समय सेवायें प्रदान करने के उपरांत अनुपस्थित हो रहे हैं। यह स्थिति मान्य योग्य नहीं है।

बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा निरंतर रूप से सेवायें प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश के आमजन को चिकित्सकीय सेवायें प्रदान किए जाने में कठिनाई हो रही है। अतः समस्त बंधपत्र चिकित्सकों को विभाग द्वारा आवंटित पदस्थापना स्थल पर पुनः कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30 अगस्त 2025 तक बंधपत्र सेवायें पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा बंधपत्र सेवायें निरंतर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

भविष्य में बंधपत्र चिकित्सकों के अनुपस्थित होने पर पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के समय निष्पादित बंधपत्र के अनुक्रम में बंधपत्र राशि जमा करने हेतु बाध्य होंगे।

अतः बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में समय-समय पर विभागीय समीक्षा में अनुपस्थित पाए जाने वाले बंधपत्र चिकित्सकों के विरूद्ध निष्पादित बंधपत्र के अनुक्रम में बंधपत्र राशि जमा कराये जाने हेतु विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

उपरोक्त समस्त बंधपत्र चिकित्सकों को अवगत कराया जाता है कि यह निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे अतः कोई भी बंधपत्र चिकित्सक इस परिपत्र से अनभिज्ञ होने का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा तथा विधिक कार्यवाही से छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपरोक्त सूचना पत्र के क्रम में उपस्थिति होने वाले चिकित्सकों को दिनांक 31/08/2025 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
TARUN RATHI
Date: 13-08-2025
16:19:53

(तरूण राठी)
आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0 क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा /2025/835 भोपाल,दिनांक 13/8/2025

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक,माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,

Scanned with OKEN Scanner

मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।

2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन,भोपाल,म0प्र0।
4. संचालक,मध्यप्रदेश राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो, भोपाल,म0प्र0।
5. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय/निजी/स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय,म0प्र0- बंधपत्र पूर्ण न करने वाले चिकित्सकों को सूचित करने की कार्यवही हेतु।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश- उपस्थिति होने वाले चिकित्सकों को कार्यग्रहण कराया जाने हेतु।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. निज सहायक, संचालक (राजपत्रित), संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,म0प्र0।
9. प्रभारी एन0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
10. समस्त बंधपत्र चिकित्सकों की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner